Han Jayan Asia The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26072025-264975 CG-DL-W-26072025-264975

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] No. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26—अगस्त 1, 2025 (श्रावण 4, 1947)

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26-AUGUST 1, 2025 (SRAVANA 4, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	&
पृष्ठ सं.	ਧ੍ਰਾਣ ਜਂ.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के	।
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की	आदेश और अधिसूचनाएं*
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 359	(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों,	नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य
पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में	स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी
अधिसूचनाएं 715	प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मेत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों	के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में	होते हैं)*
अधिसूचनाएं 7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी	नियम और आदेश*
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 3985	महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग,
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *	रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों	और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *	अधिसूचनाएं 2533
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और
के बिल तथा रिपोर्ट*	डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय	अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक	द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और	और नोटिस शामिल हैं 1
उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों	जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 3681
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	को दर्शाने वाला सम्पूरक*
आंकडे प्राप्त नहीं हए।	I

CONTENTS

	Page		Page No.
Part I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme	No.	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) PART II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the	*
Court		Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence		PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by	
Part II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2533
Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
Part II—Section 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—Section 3—Notifications issued by or under	
Part II—Section 3—Sub-Section (i)—General Statutory Rules (including Orders, Byelaws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		the authority of Chief Commissioners PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	*
Administration of Union Territories) Part II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India	*	Individuals and Private Bodies PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	3681
		I 6	

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2025

- सं. 9-1/2025-यू.3(ए)—चूंकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी के सुझाव पर उच्चतर शिक्षा के किसी संस्था को सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।
- 2. और जबिक, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने के लिए रताकोंडा रंगा रेड्डी एजुकेशनल अकादमी सोसाइटी द्वारा एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- 3. और जबिक, यूजीसी ने दिनांक 31.12.2024 के अपने पत्र संख्या 10-1/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया है कि आवेदन की यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार जाँच की गई। समिति ने मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश को कुछ शर्तों के साथ सामान्य श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने की सिफारिश की। यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 13.11.2024 को हुई अपनी 585 वीं बैठक (मद संख्या 2.08) में विचार किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया।
- 4. और इससे आगे, जबिक, यूजीसी की सलाह और यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जाँच के बाद, यूजीसी से कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। इसके उत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 30.06.2025 के पत्र संख्या 10-1/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि संस्था द्वारा प्रस्तुत अनुपालन पर सहमित दी जा सकती है।
- 5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी के सुझाव पर, एतदद्वारा मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सामान्य श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करता है:
 - i. प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदत्त सभी वचन पत्रों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
 - ii. सभी चल एवं अचल परिसंपत्तियां सम विश्वविद्यालय अथवा रताकोंडा रंगा रेड्डी एजुकेशनल अकादमी सोसाइटी के नाम पर होनी चाहिए।
 - iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्था/या उसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
 - iv. मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
 - v. मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

- vi. मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के साथ अनुकूलित करेगा।
- vii. मदनपल्ले प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश को समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।
- viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम / कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी, और मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- ix. मदनपल्ले प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश, यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी को एमओए प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार, यह प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतन, संशोधित या संशोधित करेगा।
- x. मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xi. मदनपल्ले प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xii. मदनपल्ले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), अंगल्लू, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश को अनिवार्य रूप से एकेडिमक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दें और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 15th July 2025

No. 9-1/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

- 2. And whereas, an online application was submitted by Ratakonda Ranga Reddy Educational Academy Society for grant of Institution deemed to be University status under general category to Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh under Section 3 of the UGC Act, 1956.
- 3. And whereas, UGC, vide its letter No. 10-1/2024 (CPP-I/DU) dated 31.12.2024, informed that the application was examined by the UGC Expert Committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee recommended for grant of Institution deemed to be University status under general category to Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh, with certain conditions. The recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 585th meeting (Item No. 2.08) held on 13.11.2024.
- 4. And further whereas, after examining the advice of UGC as well as the report of UGC Expert Committee, UGC was requested to clarify certain points. In response, UGC, vide letter No. 10-1/2024 (CPP-I/DU) dated 30.06.2025, informed that the compliance submitted by the Institution may be agreed to.
- 5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh as an Institution deemed to be University under general category subject to the following conditions:
 - i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
 - ii. All the moveable and immoveable assets should be either in the name of the deemed to be University or Ratakonda Ranga Reddy Educational Academy Society.
 - iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
 - iv. Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
 - v. The academic programmes to be offered at Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
 - vi. Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh shall align its courses with National Education Policy-2020.
 - vii. Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
 - viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh.
 - ix. Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
 - x. Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

- xi. Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xii. Madanapalle Institute of Technology & Science (MITS), Angallu, Madanapalle, Andhra Pradesh shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE Joint Secretary